न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 101/2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/217

निर्णय दिनांक 06.11.2024

भंवरसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 2. राकु कंवर पत्नी मेघसिंह 3. किशनसिंह पुत्र मेघसिंह 4 पुष्पाकंवर पुत्री मेघसिंह 5. हीराकंवर पुत्र मेघसिंह 6. मिज्जायकंवर उर्फ मंजूकंवर पत्नी स्व. लिछमणसिंह 7. मनोहरसिंह 8. रघुवीरसिंह 9. ओमीकंवर 10. धापूकंवर 11. फिरोजकंवर 12. रतनकंवर 13 राजूकंवर 14. लालीकंवर पुत्रगण/पुत्रियां स्व. लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री के. के. पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2,3,6,9,14 की ओर से
4. प्रतिवादीगण संख्या 4,5,7,8, 10 ता 13 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत है कि वादी के पिता मेघसिंह पुत्र श्योदानसिंह की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 619/99 तादादी 27 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 464/341 तादादी 35 बीघा 8 बिस्वा वाकेरोही लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रहा है। वादी के पिता मेघसिंह का मृत्यु सन् 2004 में हो गई । वादी के पिता के कानूनी जायज वारिसानं में राकूकंवर पत्नी मेघसिंह, भंवरसिंह, लिछमणसिंह, किशनसिंह पुत्रगण मेघसिंह व पुष्पाकंवर, हीरांकंवर पुत्रियां मेघसिंह हुए जिनके नाम उपरोक्त खसरा भूमि की खातेदारी जरिये इन्तकाल संख्या 770 दिनांक 13.07.2004 को 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर के रूप में खातेदारी दर्ज हुई । कालान्तर में खसरा नम्बर 619/99 के नये खसरा नम्बर 139 तादादी 6.9100 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 464/341 के नये खसरा नम्बर 469 तादादी 8.9500 हैक्टेयर कायम हो गये। सम्वत् 2072—75 में राजस्व अमला द्वारा चौसाला जमाबंदी बनाते समय मेघसिंह के 6 जायज वारिसानों की बजाय 7 वारिसान कर दिए गये जिसमें एक नाम मेघसिंह पुत्री मेघसिंह को गलत अंकित कर किया गया है व सभी का हिस्सा 1/7, 1/7 अंकित कर दिया गया, फिर प्रतिवादी संख्या 6 से 17 के पति/पिता लिछमणसिंह की मृत्यु हुई तो इन्तकाल संख्या 694 दिनांक 08.05.2019 के जरिये लिछमणसिंह के कुल 9 वारिसानों में से दो वारिसान मनोहरसिंह व लालीकंवर पुत्र/पुत्री लिछमणसिंह को छोड़ते हुए प्रतिवादी संख्या 6 व 8 से 13 के नाम बहिस्सा बराबर 1/49 हिस्सा की खातेदारी दर्ज कर दी गई जिसकी शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर इन्तकाल नम्बर 719 दर्ज कर लिछमणसिंह के समस्त 9 वारिसान का नाम दर्ज कर उनका हिस्सा 1/63, 1/63 बहिस्सा बराबर दर्ज किया गया जबकि वादगत खसरान भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 5/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 ता 14 के पति/पिता लिछमणसिंह का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा था जिसके अनुसार प्रतिवादी सं. 6 ता 14 का वादगत खसरा भूमि में प्रत्येक का 1/54, 1/54 [illegible] वादगत खेत वादी की पैतृक खातेदारी का खेत है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में [illegible] खसरान भूमि में वादी के नाम 1/7 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 [illegible] भूमि व प्रतिवादी संख्या 6 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:27:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

14 प्रत्येक के नाम 1/63 हिस्सा भूमि की खातेदारी गलत रूप से दर्ज की गई है। वादी द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 को प्रस्तुत किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । दिनांक 15.05.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि हम तुम्हारे प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही नहीं कर सकते, तुम न्यायालय का आदेश पेश करोगे तभी रिकार्ड दुरूस्त करेंगे। वादगत खसरान भूमि वादी की पैतृक खातेदारी की भूमि है जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के गैरजिम्मेदारान, लापरवाहीपूर्वक कार्य की वजह से वादी के नाम गलत हिस्सा भूमि दर्ज की गई है तथा राजस्व रिकार्ड का इन्द्राज गलत किया गया है जिसे वादी अपने अधिकारों के चलते दुरूस्त करवाने व गलत नाम विलोपित करवाकर उक्त गलत नाम की हिस्सा भूमि को अपने हिस्से की हद तक सही खातेदारी घोषित करवाने का अधिकार रखता है। राजस्व रिकार्ड में वादी का हिस्सा गलत अंकित होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व वादी को भारी क्षति पहुंच रही है। राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित सभी दस्तावेजातों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। उपरोक्त खसरान भूमि में वादी का सही हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से वादी अपने अधिकारों से वंचित हो रहा है। वादी ने रिकार्ड दुरूस्त करने का प्रार्थना पत्र भी तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को प्रस्तुत किया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई जिस कारण वादी को उक्त दावा स्टेट के विरूद्ध प्रस्तुत करना पड़ रहा है, स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु स्टेट को दो माह का धारा 80 सी.पी.सी. के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है । अगर दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादी को तुरन्त न्याय नहीं मिल पायेगा व वादी के.सी.सी. बनाने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो जावेगा। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त कर ली गई है। वर्णित खसरा भूमि ग्राम लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को दांवा सुनने का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दावा हर तरह से अन्दर मिंयाद व उचित कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे

(क) कि खेत खसरा नम्बर 139 तादादी 6.9100 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 469 तादादी 8.9500 हैक्टेयर वाकेरोही लखासर के राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित नाम मेघसिंह पुत्री मेघसिंह को विलोपित फरमाया जावे।

(ख) कि खेत खसरा नम्बर 139 तादादी 6.9100 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 469 तादादी 8.9500 हैक्टेयर वाकेरोही लखासर के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम 1/6 हिस्सा की खातेदारी तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा की खातेदारी तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 14 प्रत्येक के नाम 1/54 हिस्सा की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 1 को दिया जावे और उसकी पालना प्रतिवादी संख्या 1 से करवाई जावे।

(ग) कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2,3,6,9,14 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाली जवाबदावा पेश किया। स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 4,5,7,8,10 ता 13 असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण विवाद्यक कायम नहीं की गई। बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:27:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनाम वाद को स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 139 तादादी 6.9100 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 469 तादादी 8.9500 हैक्टेयर वाकेरोही लखासर के राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित नाम मेघसिंह पुत्री मेघसिंह को विलोपित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम 1/6 हिस्सा की खातेदारी तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा की खातेदारी तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 14 प्रत्येक के नाम 1/54 हिस्सा की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:27:19 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

भंवरसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 2. राकु कंवर पत्नी मेघसिंह 3. किशनसिंह पुत्र मेघसिंह 4 पुष्पाकंवर पुत्री मेघसिंह 5. हीराकंवर पुत्र मेघसिंह 6. मिज्जायकंवर उर्फ मंजूकंवर पत्नी स्व. लिछमणसिंह 7. मनोहरसिंह 8. रघुवीरसिंह 9. ओमीकंवर 10. धापूकंवर 11. फिरोजकंवर 12. रतनकंवर 13 राजूकंवर 14. लालीकंवर पुत्रगण/पुत्रियां स्व. लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 101/2024

दावा बाबतः घोषणात्मक, व रिकॉर्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांकः 06.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी ललित कुमार मारू अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2,3,6,9,14 की ओर से, पैरोकारराज स्टेट की ओर से एकतरफा कार्यवाही प्रतिवादीगण संख्या 4,5,7,8, 10 ता 13 मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि खेत खसरा नम्बर 139 तादादी 6.9100 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 469 तादादी 8. 9500 हैक्टेयर वाकेरोही लखासर के राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित नाम मेघसिंह पुत्री मेघसिंह को विलोपित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम 1/6 हिस्सा की खातेदारी तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा की खातेदारी तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 14 प्रत्येक के नाम 1/54 हिस्सा की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 06 माह 11 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:27:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)